

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
झौसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बौदा, चित्रकूट,
हमीरपुर, मिजापुर, सोनभद्र एवं कानपुर नगर।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल, 2008

विषय: सूखे से प्रभावित जनपद/तहसील में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु सूखा चारा डिपो की स्थापना एवं सूखा चारा परिवहन व्यय अनुदान हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 610 / 1-10-2008-12(73) / 2007 टी०सी० दिनांक 31 जनवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सूखे से प्रभावित जनपद/तहसील में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु न्याय पंचायत स्तर पर सूखा चारा डिपो की स्थापना हेतु सूखा चारा परिवहन व्यय अनुदान मद में निम्नांकित धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद/ तहसील का नाम	आवंटित धनराशि (रु० में)
1	झौसी	50,00,000/-
2	जालौन	50,00,000/-
3	ललितपुर	50,00,000/-
4	महोबा	50,00,000/-
5	बौदा	50,00,000/-
6	चित्रकूट	50,00,000/-
7	हमीरपुर	50,00,000/-
8	मिजापुर	50,00,000/-
9	सोनभद्र	50,00,000/-
10	तहसील घाटमपुर (कानपुर नगर)	15,00,000/-
	योग	4,65,00,000/-
	(रुपये चार करोड़ पैसठ लाख मात्र)	

2. उक्त स्वीकृति के कलाकरण होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के अद्य-व्ययक के अनुदान संख्या -51 के अन्तर्गत लेखावधीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आवोजनेतर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-पार्टीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे लाला जायेगा।

3. सूखे से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु निधारित दरों/मूल्य पर चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सूखा चारा डिपो की स्थापना की जायेगी। जनपद में सूखा चारा की गाँग का निर्धारण, निधारित मूल्य पर चारे की आपूर्ति, विक्रय एवं परिवहन अनुदान की धनराशि का निर्धारण / प्रतिपूर्ति करने हेतु जनपद स्तर पर निम्नांकित चारा प्रबन्धन समिति गठित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।-

1. जिला मणिस्ट्रेट / जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष
3. जिला पर्यायत राज अधिकारी सदस्य
4. जिला आपूर्ति अधिकारी सदस्य
5. मुख्य पशु विकासाधिकारी सदस्य सचिव

उक्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा जनपद में सूखा चारा की उपलब्धता एवं कमी का आंकलन करेगी तथा सम्मानित कमी के अनुसार सूखे चारे की आपूर्ति की व्यवस्था करेगी। जनपद रहत पर रामिति आपूर्ति किये जाने वाले सूखे चारे की यात्रा को देखते हुये चारे की दर का निर्धारण करते हुये ऐसे व्यापितयों/संस्थाओं से निवायं आमन्त्रित करेगी, जो जिल न स्थापित होने वाले चारा डिपो पर जन सामाजिकों सूखा चारा उपलब्ध करायेगी। कदम किये जाने वाले सूखे चारे के मूल्य का निधारण जिला स्तरीय चारा प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा। सूखे चारे के विक्रय मूल्य का निर्धारण परिवहन व्यय अनुदान की धनराशि को घटाते हुये किया जायेगा।

4. लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु आवश्यकता एवं नींग के आधार पर ही चारा डिपो की स्थापना के औचित्य का परिषद्यन कर आइवरता होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

5. चारा डिपो की प्रबन्धन व्यवस्था हेतु निम्नांकित चारा डिपो प्रबन्धन समिति गठित की जायेगी:-

1. ग्राम प्रधान अध्यक्ष (जिस ग्राम में चारा डिपो स्थापित किया जा रहा है)
 2. एक प्रणालीय पशुपालक सदस्य
 3. जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी सदस्य सचिव
- चारा डिपो प्रबन्धन समिति सूखे चारे की उपलब्धता एवं आवश्यकता की गणना कर चारे की कमी का आकलन करेगी तथा सम्मानित कमी के अनुसार चारे की

मौग जनपद स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी। जिलाधिकारी द्वारा नामित व्यक्तियों/संस्थाओं के माध्यम से चिन्हित स्थानों से सूखे चारे की व्यवस्था कराकर चारा डिपो पर आपूर्ति/ विक्रय करायेगी।

6. यदि सूखाग्रस्त जनपद में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूखा चारा लाया जाता है तो विशेष सर्तकता बरती जाय ताकि इस योजना की आड़ में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्मावना न रहे।

7. राज्य अथवा जिले के बाहर से लाये जाने वाले सूखे चारे के लिये क्य किये जाने वाले स्थान के धर्म काटे की तुलवायी की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर ही उस स्थान से चारा लाया जाना प्रमाणित माना जायेगा। इसका रेण्डम सैम्प्लिंग के आधार पर समय-समय पर आकस्मिक सत्यापन भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य अथवा जिले के बाहर से लाये जाने वाले सूखे चारे को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित धर्मकॉटे पर पुनः तौतवाया जायेगा एवं धर्मकॉटे की रसीद चारे की अन्तिम तौल का आधार माना जायेगा।


8. यह योजना 30 जून, 2008 तक के लिये ही अनुमन्य होगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के निर्देशों तथा Flood and Other Natural Calamities Manual, Uttar Pradesh के Chapter -X -- Drought में उल्लिखित व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सूखा चारा की आवश्यकता का आकलन कर क्य की समुचित कार्यवाही निविदा के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित की जायेगी। प्रस्तर -3 के अनुसार जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर सूखा चारा की आवश्यकता का आकलन कर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/1-11-2007-46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में हागित मद संख्या -7 के बिन्दु -2 के अनुसार धनराशि व्यय की जायेगी।

10. उक्त आवटित धनराशि में से 60 प्रतिशत धनराशि का उपभोग होने पर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता का आकलन करके धनावंटन प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रेपित किया जायेगा।

11. जिलाधिकारी पशु शिविर/आश्रय स्थल का निरीक्षण/सत्यापन अपने स्तर से विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे तथा निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में अपनी रिपोर्ट शासन को भी उपलब्ध करायेंगे।

12. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।



13. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या -1693 / 1-11-2005-रा०-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

14. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -5 भाग -1 के प्रस्तर -369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

15. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्मालय में सही मबों में घुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

मंवदीय,

(जी०क०) टण्डन

राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या 2270(1)/ 1-10-2008-12(73)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त झौसी, चित्रकूटधाम, मिर्जापुर एवं कानपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, झौसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बौदा, चित्रकूट, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं कानपुर नगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राजस्व अनुभाग -11।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी०क०) टण्डन

राहत आयुक्त एवं सचिव